/ ⑥

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–36/2015 295 पटना, दिनांकः 27.11.19

कार्यालय आदेश

श्री शशि कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मखदुमपुर प्रखंड, जहानाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बड़हिया, लखीसराय के विरूद्ध जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद के पत्रांक–1758 दिनांक–09.11.2015 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–298 सहपठित ज्ञापांक–1969 दिनांक–21.12.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) जहानाबाद को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री शशि कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मखदुमपुर प्रखंड, जहानाबाद पर अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में 232.80 क्विंटल धान जिसका मूल्य 3,05,992.32 रूपये एवं 315.23 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य 4,49,530.00 रूपये सभी कुल 7,55,522.32 (सात लाख पचपन हजार पॉच सौ बाईस रूपये बत्तीस पैसे) होता है, के गबन का आरोप था। राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद को इनके द्वारा एक्सिस बैंक, पटना के ड्राफ्ट संख्या–1610 दिनांक–11.04.2015 कुल 7,55,522.00(सात लाख पचपन हजार पॉच सौ बाईस) रूपये जमा किया गया । इस प्रकार इनपर गबन के साथ–साथ ससमय राशि नहीं जमा करने का आरोप है।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच)–सह–संचालन पदाधिकारी,जहानाबाद के पत्रांक– 53/ विभागीय जॉच दिनांक–24.09.2018 द्वारा श्री शशि कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने प्रतिवेदन दिया है कि ''आरोपित प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक पर लगाए गये आरोप तथा उस संदर्भ में उनसे प्राप्त कारण पृच्छा एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद का मंतव्य प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। आरोपित का कहना है कि धान अधिप्राप्ति के पश्चात् विभिन्न मिलरों को विलंब से निर्गमादेश निर्गत किये जाने के कारण 232.80 क्विंटल धान गोदाम में समुचित रख–रखाव नहीं होने के कारण धान क्षतिग्रस्त हो गया। इसी प्रकार एक वर्ष बीत जाने के बाद 2862.27 क्विंटल गेहूँ को निलाम

किया गया। शेष 315.23 क्विंटल गेहूँ अधिक समय तक गोदाम में रहने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा दिए गए मंतव्य के अनुसार धान एवं गेहूँ के रख–रखाव की जबावदेही क्रय केन्द्र प्रभारी श्री कुमार की थी। अगर क्षति हो रही है तो उसे बचाने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया। श्री कुमार के द्वारा 232.80 क्विंटल धान क्षतिग्रस्त नहीं बल्कि उसे गबन किया जाना बताया है। इसी प्रकार मंतव्य प्रतिवेदन के अनुसार श्री कुमार द्वारा 3177.50 क्विंटल गेहूँ क्रय किया गया जिसमें 2975.50 क्विंटल गेहूँ नीलाम की गई । शेष 202.00 क्विंटल गेहूँ श्री कुमार के भंडार में उपलब्ध नहीं था। नीलाम किए गये गेहूँ के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा 2862.27 क्विंटल गेहूँ ही निर्गत किया गया। शेष 113.23 क्विंटल गेहूँ नीलामी गेहूँ में से निर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार नीलामी के पूर्व गोदाम में 202.00 क्विंटल गेहूँ नहीं पाई गई एवं नीलामी के पश्चात् 113.23 क्विंटल गेहूँ कम पाया गया अर्थात 202.00 + 113.23 = 315.23 क्विंटल गेहूँ क्षतिग्रस्त नहीं उसे गबन बताया है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद के आदेश के आलोक में धान एवं गेहूँ के वजन में पायी गई कमी क्रमशः 232. 80 क्विंटल एवं 315.23 क्विंटल के गबन के एवज में 305992.32 + 449530.00 कुल 755522. 32 रूपये का ड्राफ्ट आरोपित द्वारा जमा कर दिया गया है। आरोपी द्वारा जमा की गई राशि से स्पष्टतः आरोपित पर्यवेक्षक के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपित पर लगाए गये आरोप प्रथमतः उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रमाणित होता है।''

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री शशि कुमार से निदेशालय के पत्रांक–2082 दिनांक–10.10.2018 द्वारा अभ्यावेदन की मॉग की गयी । निदेशालय के पत्रांक–2471 दिनांक–12.12.2018, पत्रांक–753 दिनांक–08.04.2019 एवं पत्रांक– 1388 दिनांक–19.07.2019 द्वारा स्मारित भी किया गया लेकिन श्री शशि कुमार के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि इस मामले में श्री शशि कुमार अपना अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं और इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

4. उपर्युक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शशि कुमार पर संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री शशि कुमार , तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मखदुमपुर प्रखंड, जहानाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बड़हिया प्रखंड, लखीसरासय पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–36/2015 2201 पटना, दिनांकः 27.11.19

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद को उनके पत्रांक–1758 दिनांक–09.11.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद/लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री शशि कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मखदुमपुर प्रखंड, जहानाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बड़हिया, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/11

निदेशक

0110 स्था० 1(का०आ०) (20 नबंवर 2019) शशि कुमार.